APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...उपखण्ड अधिकारी...मुकाम...कोटा...
...मोहन वगैरा...बनाम...अराजी...

किस्म मुकदमा...188...नं. ...80...सन्...2003...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/5/26	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 16.05.2005 को ओदश पारित किया है कि " इस वाद में उल्लेखित भूमि से सम्बंधित वाद अंतर्गत धारा 10 सीपीसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जिला सत्र न्यायाधीश कोटा में विचाराधीन है। उक्त वाद के निर्णय से इस न्यायालय का वाद अवश्य प्रभावित होगा। क्योंकि भूमि है। भूमि समान होने से यह वाद स्टे किया जाना उचित है एवं स्पेसिफिक परफॉरमेंस के निर्णय तक इस वाद को रोका जाना उचित है। अतः जिला सत्र न्यायाधीश के निर्णय होने तक यह वाद स्टे किया जाता है।" प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से पक्षकार एवं अधिवक्तागण कई पेशियों से उपस्थित नही हो रहे है। परन्तु वाद पत्र वादी पक्ष की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी एवं अदम हाजिरी में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है क्योंकि दिनांक 16.05.2005 को निर्णय पारित कर हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की गई है। उभयपक्ष की ओर से जिला सत्र न्यायाधीश के जैरकार प्रकरण की कार्यवाही के सम्बंध में किसी प्रकार का दस्तावेज एवं निर्णय की प्रति प्रस्तुत नही की है। चूंकि हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश होने तक स्टे की हुई है एवं प्रकरण वर्तमान में लम्बित है। अतः पत्रावली बिना किसी निष्कर्ष के पत्रावलित की जाती है। जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश उपरांत पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा (मुहर: उपखण्ड अधिकारी कोटा)	